अति तत्काल

सं. 10/2/2011-ई.III/ए
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 19th मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008- केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 10 के अंतर्गत संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख ।

केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 10 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक वेतन वृद्धि की एक समान तारीख होगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई होगी । 01 जुलाई को संशोधित वेतन संरचना में 6 माह अथवा इससे अधिक की अवधि पूरी करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के पात्र होंगे । जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीख 01 जुलाई, 2006 से 01 जुलाई, 2007 के बीच थी, उन्हें संशोधित वेतन संरचना में दिनांक 01.01.2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात् पहली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को प्रदान की जाएगी ।

2. स्टाफ पक्ष ने इस मामले को उठाया है और अनुरोध किया है कि जिन कर्मचारियों को वर्ष 2006 में फरवरी से जून के बीच अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होनी थी, उन्हें पूर्व संशोधित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाए ।

3. इस मामले पर और विचार करने के पश्चात् तथा केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सहर्ष निर्णय लिया है कि इस नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत शर्त में छूट देते हुए केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें वर्ष 2006 में फरवरी से जून के बीच अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त होनी थी, उन्हें एकबारीय उपाय के तौर पर पूर्व संशोधित वेतनमान में 01.01.2006 को एक वेतन वृद्धि प्रदान की जाए और तत्पश्चात् केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली (संशोधित वेतन), 2008 के नियम 10 के अनुसार, संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को मिलेगी । पात्र कर्मचारियों का वेतन तदनुसार पुन: निर्धारित किया जाए

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभागों में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, यह आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

रेनू जैन
(रेनू जैन)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार) ।
2. सुश्री ममता कुन्द्रा, संयुक्त सचिव (स्थापना), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
3. निदेशक (जेसीए), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाए ।

चन्दन/my document/E.III(A)/59